## भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India

## <u>प्रेस विज्ञप्ति</u> Press Release

## पुनर्बीमा बाजार के लिए संशोधित परिदृश्य Revamped landscape for reinsurance market

## पुनर्बीमा विनियमों में संशोधन Amendments to Reinsurance Regulations

एक अनुकूल व्यावसायिक परिवेश का संवर्धन करने और भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं को आकर्षित करने के उद्देश्य के साथ एक उल्लेखनीय कदम के रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने हाल ही में प्राधिकरण की अपनी 123वीं बैठक के दौरान पुनर्बीमा विनियमों में संशोधनों की एक शृंखला का अनुमोदन किया है। इन संशोधनों का समग्र उद्देश्य भारतीय बीमाकर्ताओं, भारती पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबीएस), तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बीमा कार्यालयों (आईआईओएस) के लिए लागू वर्तमान विनियमों को सुसंगत बनाना तथा सरल और कारगर बनाना है। इस व्यापक विनियामक पुनःकल्पन को कौशलपूर्ण ढंग से अभिकल्पित किया गया है जिससे भारत को एक मुख्य वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) की स्थिति में रखा जा सके।

इन संशोधनों के मुख्य संकेन्द्रण क्षेत्र अनेक निर्णायक पहलुओं का परिभ्रमण करते हैं। प्रथमतः पुनर्बीमा क्षेत्र की समग्र क्षमता को बढ़ाने के लिए संघटित प्रयास है, जो बढ़ती हुई माँग को समायोजित करने और बृहत्तर जोखिमों का प्रबंध करने में सहायता कर सकता है। अतिरिक्त रूप से, ये संशोधन श्रेष्ठता और नवोन्मेषण के परिवेश को विकसित करते हुए, उद्योग के अंदर तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने की अपेक्षा करते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू इस क्षेत्र में परिचालन करनेवाली विभिन्न संस्थाओं को अधिक कुशलतापूर्वक विनियामक परिदृश्य का संचालन करने की अनुमित देते हुए, इन संस्थाओं पर अनुपालन के भार को कम करना है।

इस संबंध में कई उल्लेखनीय परिवर्तन किये गये हैं। एफआरबीएस के लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा को रु. 100 करोड़ से घटाकर रु. 50 करोड़ कर दिया गया है तथा इसके साथ किसी भी अधिक समनुदेशित पूँजी का प्रत्यावर्तन करने के लिए प्रावधान किया गया है। अधिमान का क्रम इसके पहले व्याप्त छह स्तरों से घटाकर चार स्तरों तक सरल और कारगर बनाया गया है। पुनर्बीमा कार्यक्रमों के लिए फार्मेट सरल बनाया गया है तथा संवर्धित स्पष्टता और प्रभावकारिता के लिए विनियामक रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ युक्तियुक्त कर दी गई हैं।

इन संशोधनों का एक महत्वपूर्ण पहलू एक वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में भारत की स्थिति बनाने के अधिक व्यापक लक्ष्य के साथ इनका सुयोजन है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ कार्य करते हुए, आईआरडीएआई परंपरागत भारतीय बाजार के अंदर और बाहर दोनों प्रकार से पुनर्बीमा कार्यकलापों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिवेश को विकसित करने का उद्देश्य रखता है।

आईआईओएस के लिए विनियामक ढाँचा दोहरे अनुपालन को हटाने के उद्देश्य के साथ आईएफएससीए विनियमों के साथ सुयोजित किया गया है, इसके द्वारा बृहत्तर वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र (ईको-सिस्टम) में इन संस्थाओं के निर्बाध समेकन को बढ़ावा दिया गया है। आईआईओएस के लिए अधिमान का संशोधित क्रम सरलीकृत विनियमों और एफआरबीएस के पास सुधारित स्थानन सहित, एक अधिक प्रतिस्पर्धी परिवेश को प्रोत्साहित करता है।

निष्कर्ष के तौर पर, आईआरडीएआई द्वारा लागू किये गये उक्त संशोधन भारतीय पुनर्बीमा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उछाल को निरूपित करते हैं। विनियमों को सरल बनाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा वैश्विक वित्तीय सेवाओं की प्रवृत्तियों के साथ सुयोजन करने के द्वारा ये परिवर्तन भारत को एक अग्रणी वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में स्थापित करने के लिए विनियामक आशय का संकेत करते हैं। जैसे-जैसे उक्त संशोधन प्रवृत्त होंगे तथा भारत में पुनर्बीमा बाजार विकसित होगा, बीमा क्षेत्र त्वरित वृद्धि, संवर्धित अंतरराष्ट्रीय मान्यता, तथा एक अधिक समग्र सुदृढ़ पारिस्थितिक तंत्र (ईको-सिस्टम) का साक्षात्कार करने के लिए संतुलित स्थिति में है।

In a significant move aimed at promoting a favorable business environment and attracting more reinsurers to establish operations in India, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) recently approved a series of amendments to the Reinsurance Regulations during its 123rd Authority Meeting. The overarching objective of these amendments is to harmonize and streamline the existing regulations that apply to Indian insurers, Indian reinsurers, Foreign Reinsurance Branches (FRBs), and International Financial Services Centre Insurance Offices (IIOs). This comprehensive regulatory overhaul is strategically designed to position India as a prominent global reinsurance hub.

The key focus areas of these amendments revolve around several crucial aspects. Firstly, there is a concerted effort to increase the overall capacity of the reinsurance sector, which can help accommodate growing demand and manage larger risks. Additionally, these amendments seek to enhance technical expertise within the industry, fostering an environment of excellence and innovation. Another vital aspect is the reduction of the compliance burden on various entities operating in the sector, allowing them to navigate the regulatory landscape more efficiently.

Several noteworthy changes have been made in this regard. The minimum capital requirement for FRBs has been lowered from Rs. 100 Crore to Rs. 50 Crore, with the

provision to repatriate any excess assigned capital. The order of preference, previously spanning six levels, has been streamlined to four levels. The format for reinsurance programs has been simplified, and regulatory reporting requirements have been rationalized for increased clarity and effectiveness.

A critical aspect of these amendments is their alignment with the broader goal of positioning India as a global reinsurance hub. By working in tandem with the International Financial Services Centres Authority (IFSCA), IRDAI aims to cultivate an environment conducive to the growth of reinsurance activities, both within and outside the conventional Indian market.

The regulatory framework for IIOs has been aligned with IFSCA regulations with the intent to remove dual compliance, thereby promoting a seamless integration of these entities into the larger financial ecosystem. The revised Order of Preference for IIOs, coupled with simplified regulations and improved placement alongside FRBs, fosters a more competitive environment.

In conclusion, the amendments introduced by IRDAI represent a significant leap forward in the Indian reinsurance landscape. By simplifying regulations, enhancing competitiveness, and aligning with global financial services trends, these changes signal regulatory intent to establish India as a leading global reinsurance hub. As the amendments take effect and the reinsurance market in India evolves, the insurance sector is poised to witness accelerated growth, increased international recognition, and a more robust ecosystem overall.